न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 413/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भंवराराम पुत्र नवलाराम 2. नारूराम पुत्र नवलाराम जातियान जाट निवासी– लवेराकला तहसील बावडी जोधपुर 3. सोनाराम पुत्र देदाराम जाट निवासी– लवेरा खुर्द, बावडी, जोधपुर 4. पांचाराम पुत्र देदाराम जाट निवासी– लवेरा खुर्द, बावडी, जोधपुर		1. सरकार जरिये तहसीलदार बावडी जोधपुर। 2. शेराराम पुत्र हिम्मताराम 3. श्रीमती धाईबाई पत्नी हिम्मताराम 4. पन्नाराम पुत्र दुर्गाराम 5. अर्जुनराम पुत्र दुर्गाराम 6. चूनाराम पुत्र दुर्गाराम 7. श्रीमती रूकमा पत्नी दुर्गाराम 8. चौथाराम पुत्र किशनाराम 9. हरदीनराम पुत्र किशनाराम 10. भागचन्द पुत्र किशनाराम जातियान जाट निवासी– लवेरा खुर्द, बावडी, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बावडी के आदेश दिनांक 06.06.2018 जो राजस्व विविध संख्या 107/2014 अनवान भंवराराम वगैराह बनाम सरकार वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।
3– श्री भवानीसिंह भलासरिया, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं. 2,3 व 9 की ओर से ।
3– श्री देवेन्द्रकुमार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 से 8,10 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 21 नवम्बर,2022

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लवेरा खुर्द के खसरासंख्या 450 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण के पिता, दादा, ससुर श्री देवाराम पुत्र गोकलराम का कब्जा काश्त 2/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में था। परन्तु अब रेकर्ड में 2/5 के स्थान पर 1/5 हिस्सा अंकित होना ज्ञात हुआ है अतः उनके हिस्से में अंकित 1/5 हिस्से के स्थान पर 2/5 हिस्सा अंकित किया जावे एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 के नाम के आगे अंकित हिस्सा 4/5 के स्थान पर 3/5 हिस्सा अंकित किया जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करते हुए दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2018 को अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया कि अपीलान्टस की ओर से प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में यह भली भांति साबित कर दिया कि राजस्व रेकर्ड में पुराने इन्द्राज को गलत रूप से वर्तमान रेकार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है। इस बिनाय पर भी अधिनस्थ न्यायालय का फैसला कानूनन एवं रिकार्ड के खिलाफ पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस के प्रकरण की पत्रावली को कैम्प कोर्ट ग्राम लवेरा खुर्द में रखे जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी उसकी भी कोई सूचना अपीलान्टस को नहीं दी गई। ऐसे में इस प्रकार से आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना की है।

वकील अपीलांटस ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि मौजा लवेरा खुर्द के ख0सं0 450 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा का इन्द्राज वक्त सेटलमेन्ट से राजस्व रेकर्ड में अंकित चला आ रहा था। बरवक्त सेटलमेन्ट भूमि पर अपीलान्ट के पिता/ दादा का कब्जा/काश्त 2/5 हिस्सा भूमि पर था। तथा रेस्पो0 के पिता/दादा का कब्जा 3/5 हिस्से पर था और इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में कब्जे काश्त के आधार पर इन्द्राज किया गया, उक्त तर्क को अधिनस्थ न्यायालय ने नही मानकर और उस पर कोइं गौर नहीं किया और अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्टस ने अधिनस्थ न्यायालय को यह भी निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में पूर्व इन्द्राज अनुसार वर्तमान इन्द्राज में दुरूस्ती की जाकर पुराने वाले इन्द्राज को अंकित किया जावें। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों को विवेचित नहीं कर भारी भूल करते हुए अपीलान्टस के उक्त कथन को मानने से अधिनस्थ न्यायालय ने इन्कार कर दिया।

वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के पिता, दादा, ससुर श्री देवाराम पुत्र गोकलराम का कब्जाकाश्त 2/5 हिस्से पर था तथा शेष 3/5 हिस्से पर किशना पुत्र गोकल जाट का कब्जा था। अपीलान्ट के पिता, दादा, ससुर श्री देवाराम का स्वर्गवास हो गया तथा देवाराम के उक्त सहखातेदारी भूमि के 2/5 हिस्से पर उनके तीन पुत्र नवलाराम, सोनाराम, पांचाराम काबिज हो गये। नवलाराम के देहान्त पश्चात उनके 3 पुत्र थे। इसी प्रकार किशना पुत्र गोकल का देहान्त हो गया और उनके वारिसान 3/5 हिस्से भूमि पर काबिज है। दिनांक 20.10.13 को पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में अपना हिस्सा 2/5 अलग करने का निवेदन किया तब पटवारी हल्का के द्वारा अवगत कराया कि वर्णित भूमि में उनका 1/5 हिस्सा ही है। तब राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर उक्त प्रकार के इन्द्राज की जानकारी हुई। जिसमें 2018 से 2021 की जमाबन्दी में 2/5 हिस्सा अंकित है तथा शेष 3/5 हिस्सा किशना पुत्र गोकलजी के खाते में अंकित है। सम्वत 2030 से 2033 की जमाबन्दी में 2/5 हिस्से पर 1/5 हिस्सा अंकित कर ओवरराईटिंग किया गया है। शेष हिस्सेदार किशना पुत्र गोकल का खाता 3/5 हिस्सा अंकित ही रहा। जो काबिले दुरूस्ती के है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया और अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इन सब आधारों पर अधीनस्थ

को स्वीकार किया जावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.6.2018 को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस के योग्य अधिवक्ताओं ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बाबत हिस्सा भूमि का इन्द्राज गलत हो जाने एवं कब्जा काश्त अनुसार हिस्सा अंकित करने/राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती के लिये प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बावडी से रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार बावडी ने रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें राजस्व अभियान के दौरान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व अभियान/83/220 दिनाक 16.1.1983 की पालना में जरिये नामा0 संख्या 256 के द्वारा नवलाराम, सोनाराम, पांचाराम पिता देवाराम का 1/5 हिस्सा, किसना पुत्र गोकल का 2/5 हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र गोकलराम का 2/5 हिस्सा दर्ज किया जाना बताया एवं नामा0 संख्या 256 की परत में किसना पुत्र गोकल का हिस्सा 2/5 कांटछांट होना बताया। उपखण्ड अधिकारी बावडी ने उक्त प्रकार के इन्द्राज जरिये नामा0 के होने से प्रकरण में अपीलान्ट के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार दुरूस्तीकरण किया जाना उचित नहीं माना तथा अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जो विधि अनुकूल एवं उचित होन से बहाल रखा जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र का अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विस्तृत जबाब भी पेश किया था जिसमें खसरा संख्या 450 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर देदाराम का 1/5 हिस्सा तथा किशनाराम का 2/5 हिस्सा व हिम्मताराम का 2/5 हिस्सा था लेकिन वक्त सेटलमेन्ट त्रृटिवश देदाराम का 2/5 व किशना वल्द गोकलराम का 3/5 हिस्सा खातेदार दर्ज हो गया। उक्त प्रकार की त्रृटि की जानकारी होने पर उनके द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 63/83 पेश किया जिस पर उनके द्वारा हिम्मताराम का नाम साहखातेदार के रूप में दर्ज करने का आदेश दिनांक 16.1.83 को पारित किया गया। तब देदाराम पुत्र गोकलराम का 1/5 हिस्सा व दुर्गाराम, चौथाराम, हरदीनराम, भागीरथ पुत्र किशनाराम का 2/5 हिस्सा, हिम्मताराम पुत्र गोकलराम का 2/5 हिस्सा दर्ज किया गया परन्तु जमाबन्दी तैयार करते सम्य देदाराम पुत्र गोकल का 1/5 हिस्सा व दुर्गाराराम, चौथाराम, हरदीनराम, भागीरथराम पिता किशनाराम व हिम्मताराम पिता गोकल का 4/5 हिस्सा दर्ज हो गया। अपीलान्टस ने उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक की कभी अपील नहीं की, उक्त तथ्यों को छुपाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के आदेश अनुसार दर्ज हुआ है। इसकी जानकारी अपीलान्टस को प्रारम्भ से ही थी। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके समक्ष धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश दिनांक 6.6.2018 को पारित किया है वो उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 6.6.2018 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि उक्त अपील वक्त सेटलमेन्ट एवं तत्पश्चात काश्तकारों के खातेदारी भूमि हिस्से से सम्बन्धित है। वर्तमान इन्द्राजात सम्वत् 2030–2033 से रिकार्ड में है जिनकी शुद्धि धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है वरन् काश्तकारान को नियमित वाद के जरिये खातेदारी अधिकारें की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये। उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 नवम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर